न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व वाद संख्या 44/2020

1. रामलाल पुत्र श्री मांगीलाल उम्र करीबन 37 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादी

<u>आदेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर वादी अभिभाषक

प्रतिवादी अभिभाषक

<u>निर्णय</u>

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है–

2.1 वादी द्वारा अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी की कब्जे–काश्त, एकल खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। वादी का उपरोक्त वर्णित आराजी में नाम सहवन से "रामा पुत्र मांगीलाल" अंकित हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम "रामलाल पुत्र मांगीलाल" है। वादी को गॉव की साधारण बोलचाल भाषा में रामा कहते है जबकि सरकारी पहचान पत्र संख्या RJ/12/094/201299 व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड नं0 9080 9695 4979 में वादी का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र मांगीलाल अंकित है एवं भामाशाह कार्ड नम्बर VBVCXPN मे राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड में बैंक डायरी आदि सभी दस्तावेजों में वादी का नाम रामलाल पुत्र मांगीलाल अंकित है। वादी वास्तविक विशुद्ध अंकन अधिकार अभिलेख में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 60 में रामा